



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/35846

दिनांक : 27/07/20

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त संघटक महाविद्यालय
(महाराजा/महारानी/कॉमर्स/राजस्थान महाविद्यालय)
2. निदेशक, मानविकी पीठ/सोशल साइंस/पी.जी. कामर्स/पी.जी. साइन्स)
3. सभी शैक्षणिक पी.जी. विभागाध्यक्ष/निदेशक/को-ऑर्डिनेटर
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय :- Ex-student के प्रोविजनल के पुनः प्रवेश फार्म (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों तथा पी.जी. विभागों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर सेमेस्टर द्वितीय के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगली कक्षा में अस्थाई-क्रमोन्नत हेतु) सम्बन्धित महाविद्यालय/पी.जी. विभागों में ऑफ-लाईन जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन कर लेख है कि आपके महाविद्यालय/विभाग के Ex-students (परीक्षा के नियमों के अनुसार Ex की श्रेणी होनी चाहिए) के प्रोविजनल पुनः प्रवेश फार्म ऑफ-लाईन (छात्र बीमा योजना अंशदान 60/- के स्थान पर 100/- लेने है, अन्य फीस 2019-20 की यथावत रहेगी) निर्धारित फीस लेकर दिनांक 11-07-2020 से भ्रवाना प्रारम्भ करें जिसकी अन्तिम तिथि 20-07-2020 के स्थान पर 31-07-2020 तक बढ़ाई जाती है। एकत्रित फीस को विश्वविद्यालय के खाता संख्या-674701701612 में दिनांक 05-08-2020 तक अवश्य जमा करवावें जिसकी सूचना लेखा एवं वित्त विभाग को भी अलग से प्रेषित करने का श्रम करें।

भवति

कुलसचिव

क्रमांक: शैक्षणिक-द्वितीय/2020/35847-53

दिनांक : 27/07/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. प्रो. विजय वीर सिंह, संयोजक, विवरणिका समिति 2020-21, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, कुलसचिव/ वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उपकुलसचिव
(शैक्षणिक) 27/07/20